

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1388] No. 1388] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2012/श्रावण 3, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2012/SHRAVANA 3, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2012

का.आ. 1686(अ).—केन्द्रीय सरकार, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 30) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 अगस्त, 2012 को उस तारीख़ के रूप में नियत करती हैं जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1-28/2011-ईई.-4]

वृंदा सरूप, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2012

S.O. 1686(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Right of Childern to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2012 (30 of 2012), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 2012 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 1-28/2011-EE-4]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.